फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अजय चौधरी(एडवोकेट) पिता श्री रामपाल चौधरी निवासी A–77 नई आबादी, शहीद भगत सिंह मार्ग, कांकरोली, जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 112 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0,05 / 2025 / 996 दिनांक 02.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 17.10.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 879 दिनांक 24.10.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा पत्रांक 5609 दिनांक 30.10.2025 से पृष्ठ संख्या 08 की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय के पत्रांक 939 दिनांक 13.11.2025 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु उक्त पत्र की पालना में कोई शुल्क राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाई गई। जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकोर्ड में उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि में शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय के जरिये पत्रांक 939 दिनांक 13.11.2025 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई। जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकोर्ड में उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में नियमानुसार शुल्क राशि जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)